

>

Title: Need to sanction works under the Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendras as per the revised rates in Gujarat.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक जे 11013 /2/2009 एनआरईजीए दिनांक 30.12.2009 के द्वारा स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी तालुका स्तर पर तथा सर्व ग्राम पंचायत स्तर पर मन्रेणा योजना के अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बांधकाम का समावेश किया है।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्व तालुका स्तर पर तथा सर्व ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना के अंतर्गत केंद्र की बांधकाम कीमत तालुका कक्षा के लिए 25 लाख रूपए व ग्राम पंचायत कक्षा पर 10 लाख रूपए तय की गयी है। उसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थिति तथा एस.आर.ओ. के अनुसार बांधकाम की डिजाइन तैयार करके योजना के नियमानुसार बांधकाम करना पड़ता है।

गुजरात राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार राज्य के सभी जिले भूकम्पग्रस्त जोन-तीन, जोन-चार और जोन-पांच के अंतर्गत आते हैं। जिनका बांधकाम भूकम्प प्रतिरोधक शीत से केंद्र तथा राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के तहत बांधकाम की डिजाइन तय की जाती है। तदुपरांत एस.आर.ओ. की दरों का भी उपयोग करना होता है। इन सबको ध्यान में रखकर नक्शे एवं अंदाजपत्र बनाये गये हैं। इसके अनुसार तालुका कक्षा के एक केंद्र की अंदाजा कीमत 31 लाख रूपए तथा ग्राम कक्षा के एक केंद्र की कीमत 16 लाख रूपए बनती है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उपरोक्त परिवर्तन जो कीमतों में हैं, उन्हें मंजूरी दी जाये।

MR. CHAIRMAN: On special permission I am going to allow some Members. So I request them to make their submissions very briefly and conclude within a minute. Otherwise, I cannot permit and I may have to adjourn the House.